FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST INVITATION FOR
VITASTA SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
OPERATING IN COMPUTER PROGRAMMING, CONSULTANCY IN NEW DELHI

(Under Regulation 36A(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of the corporate debtor along with PAN/ CIN/ LLP No.	Vitasta Software India Private Limited **CIN:** U62013DL2024PTC430452 **PAN**: AAKCV1369A
2.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	**Regd. office address**: 102, Ganga Chambers,6A/1, First Floor, WEA, Karol Bagh, Central Delhi, New Delhi, Delhi, India, 110005
3.	URL of website	NA
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	NA
5.	Installed capacity of main products/ services	Computer programming, consultancy, and related services
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	As per Last audited Balance sheet for FY 2024-25 - value of Revenue from operation is 0 and from other services was 2.30 cr.
7.	Number of employees/ workmen	NIL
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at:	The company is incorporated on 27.04.2025. Audited Balance sheet of 2024-25 is available. Details can be sought by emailing: cirp.vitastasoftwareindiapvtltd@gmail.com
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details can be sought by emailing: cirp.vitastasoftwareindiapvtltd@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	03.02.2026
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	13.02.2026
12.	Last date for submission of objections to provisional list	18.02.2026
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	28.02.2026
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plan to prospective resolution applicants	05.03.2026
15.	Last date for submission of resolution plans	04.04.2026
16.	Process email id to submit EOI	cirp.vitastasoftwareindiapvtltd@gmail.com
17	Details of the corporate debtor's registration status as MSME	As per the last audited Balance sheet it is micro enterprise, as the investment in plant and machinery or equipment does not exceed two crore fifty lakh rupees and turnover does not exceed ten crore rupees.

SHRISHTI GARG Digitally signed by SHRISHTI GARG Date: 2026.01.05 11:12:22 +05'30'

Ms. Shrishti Garg
(Resolution Professional)
Reg. No. IBBI/PA-001/IP-02929/20118/14509
In the matter of Vitasta Software India Private Limited
Authorisation of Assignment (AFA): AA1/14509/01/300626/108164
AFA validity: 30.06.2026

Date : 05.01.2026
Place: New Delhi

Continued from previous page....

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Share India — You generate, we multiply **SHARE INDIA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED** **Address:** A-25, Basement, Sector-64, Noida-201301, Uttar Pradesh. **Tel:** +91 0120-6483000 **Email:** kunal.bansal@shareindia.co.in **Investor Grievances Email id-** mb@shareindia.com **Website:** www.shareindia.com **SEBI Registration:** INM000012537 **CIN:** U65923UP2016PTC075987 **Contact Person:** Mr. Kunal Bansal	Maashitla **MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED** **Address:** 451, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034 **Tel No.:** 911145121795 **E-mail:** ipo@maashitla.com **Investor Grievances Email id-** investor.ipo@maashitla.com **Website:** https://www.maashitla.com/ **SEBI Registration No.:** INR000004370 **Contact Person:** Mr. Mukul Agrawal	GRE — Towards New Energy **GRE Renew Enertech Limited** Mr. Rohan Jayeshbhai Dhruve Company Secretary and Compliance Officer **Registered office:** Plot No. 423, G.I.D.C.-II, Dediyasan, Mehsana-384002, Gujarat **Telephone:** +91 77779 83683, **Email:** cs@greindia.com **Website:** https://greindia.com/ **CIN:** U31100GJ2008PLC055304 Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLM or the Registrar to the issue in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at https://greindia.com/, the website of the BRLM to the issue at: www.shareindia.com, the website of BSE SME at https://www.bsesme.com/PublicIssues/RHPaspx, respectively.

AVAILABILITY OF ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the Abridged Prospectus shall be available on the website of the Company, BRLM and BSE at https://greindia.com/, www.shareindia.com and https://www.bsesme.com/PublicIssues/RHP.aspx.

SYNDICATE MEMBER: NA

SUB-SYNDICATE MEMBER: NA

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Plot No. 423, G.I.D.C.-II, Dediyasan, Mehsana-384002, Gujarat; Telephone: : +91 77779 83683; BRLM: Share India Capital Services Private Limited, Telephone: +91 0120-6483000 and the Syndicate Member: NA, Telephone: +91 0120-6483000 and the Sub Syndicate Member: NA and the Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the website of BSE SME and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

Application Supported by Blocked Amount (ASBA): All Applicants (other than Applicants using the UPI mechanism) shall mandatorily participate in the issue only through the ASBA process. ASBA Applicants (other than Applicants using the UPI mechanism) must provide bank account details and authorization to block funds in the relevant space provided in the Application Form and the Application Forms that do not contain such details are liable to be rejected.

ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK AND SPONSOR BANK: HDFC Bank Ltd.

UPI: UPI Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

Place: Ahmedabad, Gujarat
Date: January 03, 2026

On behalf of Board of Directors
FOR, GRE RENEW ENERTECH LIMITED
Sd/-
Mr. Rohan Jayeshbhai Dhruve
Company Secretary & Compliance Officer

Disclaimer: GRE RENEW ENERTECH LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public issue of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Ahmedabad, January 03, 2026 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at https://greindia.com/ the website of the BRLM to the issue at: www.shareindia.com, the website of BSE SME at https://www.bsesme.com/PublicIssues/RHPaspx, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 30 of the Red Herring Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933 and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act, 1933 and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

प्रपत्र सं. 3 [विनियम-13 (1) (क) देखें]

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

वाद सं. : ओ.ए./1076/2025

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन

ईएक्सएच. नंबर : 28595

इंडियन ओवरसीज बैंक
बनाम
मैसर्स विदर्श कंस्ट्रक्शन और अन्य

सेवा में,

(1) मेसर्स विदर्श कंस्ट्रक्शन एवं अन्य डी/डब्ल्यू/एस/ओ-अजय
मेसर्स विदर्श कंस्ट्रक्शन, एक साझेदारी कम्पनी, पंजीकृत कार्यालय 10-बी, 74, वसुंधरा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश - 201010, इसके स्वामी श्री अजय उपाध्याय और श्रीमती कीर्ति उपाध्याय के माध्यम से गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

(2) अजय उपाध्याय मकान नंबर सी 10 जीएच 9 गेल अपार्टमेंट सेक्टर 56 गांव घाटा गुरुग्राम हरियाणा गुड़गांव, हरियाणा-122001

अन्य पता :
श्री अजय उपाध्याय पुत्र श्री एस एन उपाध्याय निवासी 10-बी, 74, वसुंधरा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201010,

(3) कीर्ति उपाध्याय मकान नंबर सी 10 जीएच 9 गेल अपार्टमेंट सेक्टर 56 गांव घाटा गुरुग्राम हरियाणा गुड़गांव, हरियाणा-122001

सम्मन

जबकि, ओए/1076/2025 माननीय पीठ अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 21-11-2025 को पेश किया गया था।

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रु. 33,97,130.69/- की ऋण वसूली के लिए आपके विरुद्ध दाखिल किए गए (ओए) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(यों) को निम्न निर्देश भी दिया जाता है :-

i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए ;

ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें ;

iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है ;

iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, अपने व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे ;

v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे।

आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवेदक को मुहैया कराने तथा दिनांक 20-01-2026 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 28-11-2025 को दिया गया।

सम्मन जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र सं. 3 [विनियम-13 (1) (क) देखें]

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

वाद सं. : ओ.ए./1647/2025

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन

ईएक्सएच. नंबर : 28933

इंडियन ओवरसीज बैंक
बनाम
मैसर्स स्वरमयी एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग और अन्य

सेवा में,

(1) प्रतिवादी सं. 1- मैसर्स स्वरमयी एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग
एक पार्टनरशिप फर्म, पंजीकृत कार्यालय : 641 गुम्मा माझी के पास, ग्राम दलीपगढ़, बवाना, उत्तर-पश्चिम दिल्ली-110039, इसके पार्टनर्स श्रीमती शैली यादव और श्रीमती सोनिका के माध्यम से

(2) प्रतिवादी सं. 2 - श्रीमती शैली यादव पत्नी श्री प्रवीण यादव
निवासी मकान नंबर 101, भू तल, सेक्टर 51, साउथ सिटी-2, गुरुग्राम हरियाणा-122001
अन्य पता :
श्रीमती शैली यादव पत्नी श्री प्रवीण यादव निवासी मकान नंबर 506, प्रथम तल, सेक्टर 4, गुरुग्राम हरियाणा-122001
अन्य पता :
श्रीमती शैली यादव पत्नी श्री प्रवीण यादव निवासी मकान नंबर 401, प्रथम तल, सेक्टर 39, गुरुग्राम हरियाणा-122022

(3) श्रीमती सोनिका पत्नी श्री कुणाल यादव
निवासी मकान नंबर 101, भू तल, सेक्टर 51, साउथ सिटी-2, गुरुग्राम हरियाणा-122001
अन्य पता :
श्रीमती सोनिका यादव पत्नी श्री कुणाल यादव निवासी मकान नंबर 506, प्रथम तल, सेक्टर 4, गुरुग्राम हरियाणा-122001

सम्मन

जबकि, ओए/1647/2025 माननीय पीठ अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 15-12-2025 को पेश किया गया था।

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण **रु. 25,45,793.46/-** की ऋण वसूली के लिए आपके विरुद्ध दाखिल किए गए (ओए) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(यों) को निम्न निर्देश भी दिया जाता है :-

i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए ;

ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें ;

iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है ;

iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, अपने व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे ;

v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे।

आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवेदक को मुहैया कराने तथा दिनांक 09-02-2026 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 16-12-2025 को दिया गया।

सम्मन जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

वसूली अधिकारी-II का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण-II, दिल्ली

47वां तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली- 110001

आय कर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत

आर.सी. नं. 112/2020 **दिनाँक : 22-12-2025**

बैंक ऑफ इंडिया विरुद्ध मैसर्स गोयल एक्जिम (आई) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

मेरे दिनांक 22.12.2025 के आदेश के अनुसार, उक्त वसूली प्रमाणपत्र में उल्लिखित संपत्ति की सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा 25.02.2026 को बिक्री की जाएगी :-

नीलामी बिक्री "ऑनलाइन ई-नीलामी" द्वारा वेबसाइट https://bankeauctions.com के माध्यम से संपन्न होगी।

नीलामी की तिथि और समय : 25.02.2026 को अप. 3:00 से 4:00 बजे के मध्य (आवश्यकता पड़ने पर 4:00 बजे के बाद 5 मिनटों की अवधि के विस्तारों के साथ)

संपत्ति का विवरण

क्र.सं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
1.	निजी संख्या 317 और 318, जो 4 मंजिला इमारत (पुराना क्रमांक XVI/2697) का हिस्सा है, जो प्लॉट संख्या 23 और 24 पर, जिसका क्षेत्रफल 815 वर्ग फुट है और जिसका नगर निगम क्रमांक XVI/2679-80, 2678/1-4, खसरा क्रमांक 213 और 214 है, जो ब्लॉक-एल, नाईवाला एस्टेट, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005 में स्थित, श्रीमती रीना गोयल के नाम पर है।	रु. 1,87,00,000/-	रु. 18,70,000/-
2.	सं. 249 और 250, दूसरी मंजिल, (चार मंजिला इमारत का हिस्सा), ब्लॉक-एम, एमपीएल संख्या 2633 और 2634, वार्ड संख्या ग्टप्, नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में स्थित 1159 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली स्वामित्वधारी संपत्ति, जिसकी निजी संख्या 204 है और जो श्रीमती सोनिया गोयल के नाम पर है।	रु. 2,61,00,000/-	रु. 26,10,000/-

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी बिक्री वेबसाइट पोर्टल : https://bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" द्वारा होगी।
2. ईएमडी का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से "वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली खाता आर.सी. संख्या 112/2020" के पक्ष में किया जाएगा। उक्त डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर, पहचान पत्र (वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित प्रति के साथ, जिसमें भविष्य के संचार के लिए पता होना चाहिए, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति के साथ, और कंपनी के मामले में, कंपनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति या कंपनी के प्रतिनिधित्व/वकील होने की पुष्टि करने वाले किसी अन्य दस्तावेज के साथ, वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में 23.02.2026 को अप. 4.00 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद प्राप्त ईएमडी या ईएमडी के मूल प्रमाण पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विधिवत भरा हुआ संलग्न बोली प्रपत्र भी उपर्युक्त समयावधि के अनुसार पहुंच जाना चाहिए।
3. ईएमडी या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी भुगतान के मूल प्रमाण वाले लिफाफे पर प्रेषक का विवरण, जैसे पता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आदि, "आरसी नंबर 112/2020" अंकित होना चाहिए।
4. संपत्ति "जैसी है जहां है आधार" तथा "जैसी है जो है आधार" पर बेची जा रही है।
5. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने और ई-नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने से पहले ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए पोर्टल https://bankeauctions.com देखें और/या श्री वैभव गुप्ता, मुख्य प्रबंधक, सीएच बैंक (संख्या 9891505506) से संपर्क करें।
6. इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा और उपरोक्त ई-नीलामी में बोली लगाने के लिए अनिवार्य ईएमडी जमा करने के बाद, मैसर्स सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उद्योग विहार, फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 301, गुड़गांव-122015, हरियाणा, श्री मिथलेश कुमार, सहायक प्रबंधक, मोबाइल नंबर 7080804466 ई-मेल आईडी : mitalesh.kumar@c1india.com और delhi@c1india.com, support@bankeauctions.com से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा।
7. इच्छुक बोलीदाता, ईएमडी जमा करने के बाद, मैसर्स सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उद्योग विहार, फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 301, गुरुग्राम-122015, हरियाणा, श्री मिथलेश कुमार, सहायक प्रबंधक, मोबाइल नंबर 7080804466, ईमेल आईडी : mithalesh.kumar@c1india.com और delhi@c1india.com, support@bankeauctions.com से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. केवल वे बोलीदाता और डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से ईएमडी का पुष्ट भुगतान करने वाले ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे।
9. इच्छुक बोलीदाता 27.01.2026 और 28.01.2026 को मध्या. 11:00 से अप. 4:00 बजे तक स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं।
10. इच्छुक बोलीदाता, जिन्होंने 23.02.2026 को अप. 4.00 बजे तक, दिल्ली स्थित डीआरटी-II, वसूली अधिकारी-II के कार्यालय में आरक्षित मूल्य से कम न होने की बोली जमा की है, वे 25.02.2026 को अप. 3.00 से 4.00 बजे तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन समय स्वतः 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
11. बोलीदाता प्रत्येक लॉट के लिए अपनी बोली में 2,00,000/- रुपये (केवल दो लाख रुपये) के गुणक में वृद्धि कर सकते हैं।
12. असफल बोलीदाता ई-नीलामी की कार्यवाही समाप्त होने के तुरंत बाद वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली/सीएच बैंक के कार्यालय से सीधे ईएमडी प्राप्त करेगा।
13. सफल/उच्चतम बोलीदाता को ईएमडी समायोजित करने के बाद बोली/बिक्री राशि का 25ः डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली, खाता आर.सी. संख्या 112/2020 के पक्ष में अगले बैंक कार्य दिवस यानी शाम 4:00 बजे तक इस न्यायाधिकरण के पास जमा करना होगा।
14. सफल/उच्चतम बोलीदाता, वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली, खाता आरसी.सी. संख्या 112/2020 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से, नीलामी की तारीख से 15वें दिन (इस दिन को छोड़कर) या उससे पहले वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के समक्ष बिक्री राशि का शेष 75% जमा करेगा। यह राशि, यदि 15वां दिन रविवार या कोई अन्य अवकाश हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यदिवस पर, 1,000 रुपये तक 2% की दर से और 1,000 रुपये से अधिक की कुल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ, रजिस्ट्रार, डीआरटी-II दिल्ली के पक्ष में जमा की जानी चाहिए। (यदि शेष 75% राशि डाक द्वारा जमा की जाती है, तो वह वसूली अधिकारी तक उपर्युक्त तरीके से पहुंच जानी चाहिए)। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान न होने की स्थिति में, बिक्री की नई घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति को पुनः बेचा जाएगा। बिक्री के खर्चों को पूरा करने के बाद, यदि हस्ताक्षरकर्ता उचित समझे तो जमा राशि सरकार द्वारा जब्त की जा सकती है और भुगतान न करने वाला क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से पर अपने सभी दावों को खो देगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।
15. सीएचएफआई/सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह बिक्री की घोषणा सीडी पर दस्ती, स्पीड पोस्ट, कूरियर के माध्यम से और संपत्ति के प्रमुख स्थान पर चिपकाकर तथा उसके आसपास ढोल बजाकर वितरित करे तथा इसकी एक प्रति न्यायाधिकरण के नोटिस बोर्ड पर भी लगाए।
16. बिक्री की घोषणा अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के उन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाए जिनका क्षेत्र में पर्याप्त प्रसार हो।
17. सीएचएफआई/सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन की पुष्टि करे तथा प्रकाशन की मूल प्रतियां अगली सुनवाई की तिथि से पहले दाखिल करे।
18. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि वे स्वीकार्य न पाई जाएं, या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी स्थगित करने का अधिकार है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

संपत्ति की अनुसूची

बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण	संपत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	संपत्ति पर लागू किसी भी ऋणभार का विवरण	संपत्ति पर लगाए गए दावे, यदि कोई हों, और कोई अन्य ज्ञात विवरण जो इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित हों।
निजी संख्या 317 और 318, जो 4 मंजिला इमारत (पुराना क्रमांक XVI/2697) का हिस्सा है, जो प्लॉट संख्या 23 और 24 पर, जिसका क्षेत्रफल 815 वर्ग फुट है और जिसका नगर निगम क्रमांक XVI/2679-80, 2678/1-4, खसरा क्रमांक 213 और 214 है, जो ब्लॉक-एल, नाईवाला एस्टेट, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005 में स्थित, श्रीमती रीना गोयल के नाम पर है।	अज्ञात	अज्ञात	अज्ञात
सं. 249 और 250, दूसरी मंजिल, (चार मंजिला इमारत का हिस्सा), ब्लॉक-एम, एमपीएल संख्या 2633 और 2634, वार्ड संख्या XVI, नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में स्थित 1159 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली स्वामित्वधारी संपत्ति, जिसकी निजी संख्या 204 है और जो श्रीमती सोनिया गोयल के नाम पर है।	अज्ञात	अज्ञात	अज्ञात

(वात्सल्य कुमार)
वसूली अधिकारी - II
डीआरटी- II, दिल्ली

यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

UGRO CAPITAL

चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुरिया, मुंबई 400070

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के परंतुक के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम के तहत निजी संधि द्वारा अचल परिसंपत्ति(यों) छ्प्रतिरक्षित परिसंपत्ति(यों)", की बिक्री के लिए 15 दिनों की बिक्री सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(कों) और गारंटर(कों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सुरक्षित परिसंपत्ति(संपत्तियां), जो यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड ("सुरक्षित लेनदार") के पास गिरवी/बंधक हैं और जिन पर सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी ने कब्जा ले लिया है, उन्हें इस सूचना की तिथि से 15 दिन बाद निजी समझौते के माध्यम से **"जैसा है, जहां है" और "जो भी उपलब्ध है"** के आधार पर बेचा जाएगा। इसकी वसूली 09-08-2024 तक देय 1,69,15,317/- रुपये और उस पर प्राप्त राशि की वसूली की तिथि तक के ब्याज और अन्य खर्चों के लिए की जाएगी। ये राशि सुरक्षित लेनदार को उधारकर्ता(कों) और गारंटर(कों) से देय है, जिनके नाम हैं: **1) आर आर गार्मेंट्स, 2) राजू जैन, 3) रितु जैन, 4) खाजली देवी जैन आरक्षित मूल्य 1,05,00,000 रुपये/-** होगी।

सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण:

"खसरा संख्या 302, खेवट संख्या 56, खतौनी संख्या 172 में स्थित अचल संपत्ति का वह भाग, जिसका निर्मित क्षेत्रफल प/5348 (भाग) है, जिसमें छत/छत के पूर्ण अधिकार और अंतिम मंजिल तक ऊपरी निर्माण के अधिकार शामिल हैं, और जो खसरा संख्या 302, खेवट संख्या 56, खतौनी संख्या 172 में स्थित है, और जो आबादी गली संख्या 02, पुराने सीलमपुर, गांधी नगर, सीलमपुर गांव, इलाका शाहदरा, दिल्ली - 110031 में स्थित है।"

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट **www.ugrocapital.com** पर दिए गए लिंक को देखें या नीचे दिए गए पते पर **authorized.officer@ugrocapital.com** पर संपर्क करें।

स्थानः दिल्ली ,
दिनांक : 05/01/2026.

हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी)
यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के लिए

संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार

समसामयिक अध्ययन केन्द्र
प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय
द्वारा आयोजित
पुस्तक परिचर्चा
इंडिया'ज न्यू राइटः पावरिंग द करंट वेव ऑफ नेशनलिज्म एंड सिविलाइजेशनल रिवाइवल
में
आप सादर आमंत्रित हैं।

लेखक
डॉ. अभिजीत मजूमदार

वक्तागण:
डॉ. सज्जन कुमार
पूर्व फेलो, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय

डॉ. रवि के. मिश्र
संयुक्त निदेशक, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय

दिनांक : 06 जनवरी 2026, समय अपराह्न 3.00 बजे

स्थल :
संगोष्ठी कक्ष, पुस्तकालय भवन
प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय
तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली
सभी का स्वागत है ।

आमंत्रण प्राप्त करने के लिए हमें ईमेल करें: ccs2nmml@gmail.com

CBC 09142/12/0044/2526

प्रपत्र-'जी'
अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

वितस्ता सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में काम कर रही है।

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियमन 36ए के उप-विनियमन (1) के तहत (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (विनियम, 2016)

प्रासंगिक विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम साथ में पैन/सीआईएन/एलएलपी नं.	वितस्ता सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पैन: AAKCV1369A | सीआईएन: U62013DL2024PTC430452
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकृत कार्यालय: 102, गंगा चैंबर्स, 6/1, पहली मंजिल, WEA, करोल बाग, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली-110005
3.	वेबसाइट का यूआरएल	लागू नहीं
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैं	लागू नहीं
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, परामर्श और संबंधित सेवाएं
6.	मुख्य उत्पादों की मात्रा और मूल्य/पिछले वित्तीय वर्ष में बेची गई सेवाएं	वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार-ऑपरेशन से रेवेन्यू का मूल्य 0 है और अन्य सेवाओं से 2.30 करोड़ था।
7.	कर्मचारियों/कामगार की संख्या	शून्य
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूची के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं	कंपनी 27.04.2025 को इनकॉर्पोरेट हुई है। 2024-25 की ऑडिटेड बैलेंस शीट उपलब्ध है। जानकारी के लिए इस ईमेल पर संपर्क करें: cirp.vitastasoftwareindiapvtltd@gmail.com
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है	अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर संपर्क करें: cirp.vitastasoftwareindiapvtltd@gmail.com
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	03 फरवरी 2026
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतरिम सूची जारी करने की तिथि	13 फरवरी 2026
12.	अंतरिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	18 फरवरी 2026
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	28 फरवरी 2026
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजना के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि	05 मार्च 2026
15.	समाधान योजनाएं जमा करने की अंतिम तिथि	04 अप्रैल 2026
16.	ईओआई जमा करने के लिए संसाधित ईमेल आईडी	cirp.vitastasoftwareindiapvtltd@gmail.com
17.	एनएसयूएफ के रूप में कॉर्पोरेट देनदार की पंजीकरण स्थिति का विवरण	पिछले ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार, यह एक माइक्रो एंटरप्राइज है, क्योंकि प्लांट और मशीनरी या इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट दो करोड़ रुपये लाख रुपये से ज्यादा नहीं है और टर्नओवर दस करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं है।

सृष्टि गर्ग
समाधान प्रोफेशनल, वितस्ता सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
पंजीकरण सं.: IBBI/PA-001/IP-02929/2018/14509
एएफए नंबर: AA1/14509/01/300626/108164 | एएफए : 30 जून 2026 तक मान्य

तिथि: 05.01.2026
स्थान: नई दिल्ली

बैंक ऑफ इंडिया BOI
Bank of India

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, एमडीआई बिल्डिंग, पहली मंजिल, 28, एसवी रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई - 400058 ईमेल: Asset.MNZ@bankofindia.bank.in

सार्वजनिक अधिसूचना

क्र. सं.	उधारकर्ता / चूककर्ता उधारकर्ता कंपनी का नामित भागीदार का नाम	पता
1	मैसर्स चंद्रा प्रोटेको लिमिटेड (नोटिसी नंबर 1)	पता: रजिस्टर्ड ऑफिस: 165, रवीन्द्र सरानी, कमरा नंबर-405ए, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700007 कॉर्पोरेट ऑफिस: कमरा नंबर-35, दूसरी मंजिल, 2बी, ग्रांट लेन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700012
2	श्री मुकुल गुप्ता (निदेशक/गारंटर) (नोटिसी संख्या 2)	पता: 53, टैगोर टाउन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-210002
3	श्रीमती अपर्णा गुप्ता (निदेशक/गारंटर) (नोटिसी संख्या 3)	पता: 53, टैगोर टाउन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-210002
4	श्री जगदीश कुमार केसरवानी (निदेशक/गारंटर) - (नोटिसी संख्या 5)	पता: 53, टैगोर टाउन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-210002
5	मैसर्स सारदा कॉफिन प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर) (नोटिसी नंबर 7)	पता: 2बी, ग्रांट लेन, दूसरी मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700012
6	मैसर्स डेटम सिक्योरिटीज लिमिटेड (गारंटर) (नोटिसी नंबर 8)	पता: 2बी, ग्रांट लेन, दूसरी मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700012
7	मैसर्स वर्धमान होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर) - (नोटिसी नं. 9)	पता: मर्कटाइल बिल्डिंग 9/12, लाल बाजार स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, ब्लॉक-ई, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700001
8	मैसर्स हरि व्यापार प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर) (नोटिसी नं. 10)	पता: 2बी, ग्रांट लेन, दूसरी मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700012

यह सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया ने मैसर्स चंद्रा प्रोटेको लिमिटेड के खाते के संबंध में कुछ लेन-देन/मुद्दों पर आपके जवाब/प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए, आप सभी नोटिस प्राप्तकर्ताओं को संदर्भ संख्या **ARMB/2025-26/178** दिनांक 20-08-2025 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, बैंक ने आपको अपना जवाब/प्रतिनिधित्व (यदि कोई हो) प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया था।

उक्त कारण बताओ नोटिस 22.08.2025 को आपके ऊपर उल्लिखित पंजीकृत पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया था, जो बिना वितरित हुए वापस आ गया है।

हमें आपकी ओर से अभी तक कोई जवाब/प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आपको वह कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम आपको सूचित करते हैं कि आप बैंक ऑफ इंडिया, आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, एमडीआई बिल्डिंग, पहली मंजिल, 28, एसवी रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई - 400058 से कारण बताओ नोटिस की प्रति और फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करें और इस नोटिस के 7 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करें। यदि आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो बैंक के पास लागू दिशानिर्देशों/कानूनों के अनुसार अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, और यह आप सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

हस्ताक्षरित/-
उप महाप्रबंधक, एआरएमबी

ADITYA BIRLA CAPITAL — PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
Aditya Birla Capital Limited

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात 362266
कॉर्पोरेट कार्यालयः आर-टेक पार्क, 10वीं मंजिल, नर्लोन कॉम्प्लेक्स, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के पास, गोरेगांव पूर्व - मुंबई - 4000063

प्रति, 05/01/2026

वली मोहम्मद खान,
पुत्र रुकैया बेगम, के डब्ल्यू 66, जे के नगर,
करेली, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211016
मोबाइल नंबरः 9580390407
ईमेलः उपलब्ध नहीं
ध्यान दें: वली मोहम्मद खान,
विषयः धोखाधड़ी के लिए कारण बताओ सूचना
संदर्भः ऋण खाता संख्या स्क्छ.व09624.250394956

प्रिय महोदय,

1. यह सूचना आपको, उपरोक्त नाम के प्राप्तकर्ता को, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ("एबीएफएल") (अब आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ("एबीएफएल") के नाम से जानी जाती है) से लिए गए आपके व्यक्तिगत ऋण के संदर्भ में जारी की जा रही है, जिसका ऋण खाता संख्या. LDN-D09624-250394956 है।

पृष्ठभूमिः

2. उपरोक्त पते पर उल्लिखित आपके पते पर, आपने हमारे चौनल पार्टनर चैवदम च्म के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन किया था और तदनुसार 10-08-2024 को आपको 200000/- रुपये का व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किया गया था, जिसकी शर्तें और नियम 10-08-2024 को आपके साथ हस्ताक्षरित मानक शर्तों और नियमों के अनुसार विशेष रूप से तय किए गए थे।

शिकायतकर्ता

3. पैन की पुनः प्रयोज्यता के एक विशेष मामले की पहचान करने पर, एफएमआरयू टीम ने केवाईसी पुनः प्रयोज्यता सुविधा के माध्यम से संसाधित सभी ऋण खातों की आंतरिक जांच की, ताकि धोखाधड़ी के तत्व का मूल्यांकन किया जा सके और वर्तमान ऋण खातों को पहचान की चोरी की धोखाधड़ी के रूप में पहचाना जा सके।

जांच एवं निष्कर्ष

4. उपरोक्त मामले की पहचान होने पर, हमने इस मामले में विस्तृत आंतरिक जोखिम मूल्यांकन जांच की। इसके परिणामस्वरूप यह पाया गया कि उपर्युक्त ऋण लेते समय आपके द्वारा प्रस्तुत पैन कार्ड संख्या AOVPK0394J जाली दस्तावेज है। उक्त पैन कार्ड पर लगी तस्वीर फर्जी है। यह एबीसीएल के रिकॉर्ड में मौजूद सेल्फी तस्वीर से मेल नहीं खाती। आपके द्वारा प्रस्तुत विवरण पैन कार्ड जारी करने वाले प्राधिकरण के पास उपलब्ध उक्त पैन कार्ड संख्या से संबंधित विवरणों से मेल नहीं खाते हैं।
5. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आपने, उधारकर्ता ने, दुर्भावनापूर्ण इरादे से एबीसीएल से ऋण लेते समय एक जाली, फर्जी और मनगढ़ंत पैन कार्ड प्रस्तुत किया था। इस प्रकार की गतिविधियाँ जालसाजी और सूचना की गलत प्रस्तुति के समान हैं और न केवल आपके द्वारा हस्ताक्षरित मानक नियमों और शर्तों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि वित्तीय लेनदेन से संबंधित लागू कानूनों और विनियमों का भी उल्लंघन करती हैं।
6. ऋणकर्ता के रूप में, आपसे कानूनी और नियामक मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना इन मानकों का उल्लंघन है और लागू कानून/नियामक दिशानिर्देशों के तहत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
7. हमारी नीतियों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीसी) द्वारा दिनांक 15.07.2024 को जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आवास वित्त कंपनियों सहित) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर दिशा-निर्देशों (संख्या आरबीआई/डीओएस/2024-25/120 डीओएस. सीओ. एफएमजी. एसईसी. संख्या 7/23.04.001/2024-25) के अनुसार, आपको इस नोटिस की प्राप्ति तिथि से 21 दिनों के भीतर उपरोक्त उल्लिखित विसंगतियों के संबंध में विस्तृत लिखित स्पष्टीकरण देने या स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया जाता है, साथ ही अपने उत्तर को उचित ठहराने के लिए सहायक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।
8. यदि आप निर्धारित समय सीमा के भीतर इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो हम यह मान लेंगे कि आपके पास कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं है, और हम आपके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे, जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज करना भी शामिल है।
9. हम आपको सलाह देते हैं कि किसी भी कानूनी परिणाम से बचने के लिए इस मामले को अत्यंत गंभीरता और तत्परता से लें।

भवदीय,
आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के लिए
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता।

CHINA, RUSSIA CONDEMN

Delhi voices concerns, calls for dialogue on Caracas

● Statement urges all concerned for 'dialogue, ensuring peace & stability'

SHUBHAJIT ROY
New Delhi, January 4

IN A CAREFULLY calibrated statement, the day after the US attacked Venezuela and captured its President Nicolas Maduro, India Sunday expressed "deep concern" at the developments and called upon "all concerned to address issues peacefully through dialogue, ensuring peace and stability of the region".

Neither did it condemn the US action nor invoke the respect for international law or the UN charter. Without mentioning the US action in Venezuela, it described it as "recent developments in Venezuela:" a more neutral framing of the military intervention by the US.

There were four points that the Indian statement issued by the Ministry of External Affairs made. First, it expressed "deep concern" on the situation, as the MEA said, "Recent developments in Venezuela are a matter of deep concern." Second, it was careful on the next steps in Venezuela given there's no clarity on who will run the government in Caracas. "We are closely monitoring the evolving situation," the MEA statement said.

Venezuela's President Nicolas Maduro, in custody at the US Drug Enforcement Administration office in New York after he was captured by US special forces REUTERS

Third, it expressed its support for the "people of Venezuela" — differentiating it from the government or the regime in Venezuela — and called upon "all concerned" to "address issues peacefully through dialogue, ensuring peace and stability of the region". This was a nod to the US, where President Trump has said, "We will run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition."

And, fourth, was the Indian government's concern about the Indian community, which is quite small in the South American nation. There are less than 100 Indians in Venezuela — according to the Indian embassy's records: "50 NRIs and 30 PIOs".

India's response is different from how China and Russia responded. China Sunday called on the US to release Maduro and his wife "at once" and "resolve issues through dialogue and negotiation." "China expresses grave concern over the US forcibly seizing President Maduro and his wife and taking them out of the country", a Chinese Foreign Ministry statement said. The move is in clear violation of international law, basic norms in international relations, and the purposes and principles of the UN Charter, it said. Russia has been the first country to criticise the US action, calling it an "act of armed aggression" against Venezuela.

German Chancellor Friedrich Merz said that the legal assessment of the US operation is complex and "we will take our time" to evaluate it, adding that principles of international law must apply..

British PM Keir Starmer has also avoided any confrontation with the US, as he said, "I want to establish the facts first. I want to speak to President Trump. I want to speak to allies. I can be absolutely clear that we were not involved ... and I always say and believe we should all uphold international law."

India's statement — as compared to the statement of the P-5 countries — sought to maintain the diplomatic tightrope walk, where it doesn't criticise the Trump administration but it seeks peace and stability of the region. This is rooted in the diplomatic dilemma it faces: on the one side is Trump's unilateral move and, on the other, many in the Global South are looking at India for leadership against violations by the US President.

Customs rejig must resolve inverted duty, supply chain issues: Virmani

PRASANTA SAHU
New Delhi, January 4

ARVIND VIRMANI, ECONOMIST & NITI AAYOG MEMBER

India's average customs duty of about 12% far exceeds the roughly 5% in leading economies, putting its manufacturers and exporters at a disadvantage

India's electronics push, including semiconductors, requires a full review of the supply chain to eliminate inverted duty structures

AHEAD OF THE Union Budget for FY27 and an expected overhaul of the customs duty regime, economist and Niti Aayog member Arvind Virmani has underlined the need for India to address inverted duty structures, ease supply chains and facilitate labour-intensive stages of production to enhance the competitiveness of the Indian economy.

India's weighted average customs duty currently stands at around 12%, significantly higher than the roughly 5% average among the world's top economies. This gap, Virmani argued, forces Indian manufacturers and exporters at a disadvantage in several sectors. In his view, customs reform must focus not merely on lowering tariffs, but on rationalising the structure to support domestic production, exports and integration into global value chains.

While talking to *FE*, Virmani said India's strategy to narrow this gap is increasingly centred on free trade agreements (FTAs) with high-income economies. Such agreements, he noted, can reduce effective tariff rates to well below 5%, without resorting to blunt, across-the-board tariff cuts. Beyond tariffs, he emphasised the broader objectives of improving quality, productivity and wages, supported by complementary reforms in logistics, standards and supply chain efficiency to fully realise the gains from customs reform.

His remarks come as Finance Minister Nirmala Sitharaman has signalled that the next major reform push, following income tax and GST simplification, will be a comprehensive overhaul of India's customs framework. She has described this as the next big "clean-up" exercise aimed at simplifying rules, reducing complexity and making compliance easier for businesses and individuals. Sitharaman has also repeatedly flagged the need to correct inverted duty structures.

"The system is quite complex. The inverted duty structure cannot be removed 100% in all cases, but at least in the important cases where domestic production is on the margin, it could be very useful," Virmani said, citing the information technology sector as a prominent example. These, he added, are precisely the areas the finance minister is likely to examine closely to see how far existing distortions can be reversed.

Virmani pointed to the WTO Information Technology Agreement (ITA), signed largely at the initiative of the United States, as a case study of how well-intentioned tariff liberalisation can have adverse structural effects. Under the ITA, India agreed to reduce tariffs to zero on a defined list of IT products. However, the broader manufacturing implications were not adequately assessed at the time. While finished IT products became duty-free, many inputs and components continued to attract higher duties, resulting in a pronounced inverted duty structure.

"This hurt domestic manufacturing, even in areas like simple assembly of laptops and computers, where India could have been competitive," he said. The experience, according to Virmani, highlights the importance of carefully sequencing and designing tariff reforms to avoid undermining domestic capabilities.

While rationalising tariffs can deliver strong medium-term benefits — as demonstrated by the reforms of the 1990s — Virmani cautioned that short-term disruptions are sometimes unavoidable.

EU FTA: Goyal to visit Brussels this week

FE BUREAU
New Delhi, January 4

WITH NEGOTIATIONS ON the India–EU free trade agreement (FTA) in their final stages, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will visit Brussels this week for what could be the last round of meetings between the trade leadership of both sides ahead of the India–EU Summit later this month.

During his visit to Brussels from January 8 to January 9, Goyal will meet EU Trade Commissioner Maros Sefcovic and other senior leaders as both sides push to conclude the negotiations before the Summit scheduled for January 27.

Ahead of the Summit, the EU's top leadership — European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Antonio Costa—will be the chief guests at India's Republic Day celebrations.

Goyal will begin his Europe tour with a visit to Liechtenstein on January 7 before arriving in Brussels. Liechtenstein is one of the four members of the European Free Trade Association (EFTA), with whom India's FTA came into force on October 1.

The Brussels visit comes just a month after EU Trade Commissioner Maros Sefcovic and other senior trade officials visited India to advance the FTA talks. Goyal and Sefcovic held two days of extensive negotiations in December to move the agreement closer to conclusion. During his India visit, Sefcovic also met External Affairs Minister S Jaishankar and Finance Minister Nirmala Sitharaman.